

**परियोजना का नाम :-** जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छिमी से मटेला होते हुए तोला भूमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

**प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या**

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग के छिमी से मटेला होते हुए तोला भूमिया देव मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 4.00 किमी० कार्य की स्वीकृति शासना देश संख्या 3239/111(2)/16-58 (एम०एल०ए०)/2015टी०सी० दिनांक 29.12.2016 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू-भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार-बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम मटेला क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले तोको के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गाँवों से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गाँव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह मोटर मार्ग नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग के ग्राम छिमी नामक स्थान से मटेला हेतु हुए तोला भूमिया मंदिर तक 4.00 किमी० लम्बाई में निर्मित किया जाना है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही नयी योजना के बारे में प्रचार प्रसार हेतु इन गावों में अधिकारी/कर्मचारी आदि संसस्थो को यातायात की सुविधा होगी, जिससे प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सकेगा। साथ ही स्थानीय ग्रामिणों को गैस आदि आवश्यकता प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे जंगलों को बचाये जाने में मदद मिलेगी। मार्ग के संरेखण में कुल 1.755 है० वन भूमि प्रभावित होती है जिसमें विभिन्न व्यास के कुल 97 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में लगभग 65 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छाति है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः 400 किमी० के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि ( सिविल सोयम) लम्बाई 1950 मीटर तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.755 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 97 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल।

  
अधीशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
नैनीताल।

  
वन क्षेत्र अधिकारी,  
नथुवाखान  
नैनीताल वन प्रभाग

  
उप प्रभागीय वन अधिकारी (मु०)  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

  
प्रभागीय वन अधिकारी  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

  
अ.र.